न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 11/2018 (225 आर. टी. एक्ट)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2018/00040

उनवान

1. सुरेन्द्र सिंह
2. भीम सिंह
3. श्यामवीर सिंह
4. धर्मवीर सिंह

पुत्रगण जोगेन्द्र सिंह जाति जाट नि0 बैलारा कलॉ तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. सुखवीरी पत्नी नारायन सिंह
2. दिगम्बर सिंह
3. पपेन्द्र
4. सत्येन्द्र

पुत्रगण नारायन सिंह जाति जाट नि0 बैलारा कलॉ तहसील कुम्हेर, भरतपुर।

5. सरला पुत्री नारायन सिंह
6. प्रमोद
7. विनोद

पुत्रगण जहारिया नाबालिग जरिये माता जगवीरी

8. पप्पी पुत्री जहारिया
9. जगवीरी पत्नी जहारिया

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 सहायक कलक्टर, कुम्हेर दिनांक 17.07.2017 उनवानी सुरेन्द्र सिंह बनाम सुखवीरी मु0न0 57/2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री प्रमोद कुमार उपमन उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री विजय सिंह कुन्तल उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 30.04.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कुम्हेर के आदेश दिनांक 17.07.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थीगण/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 68/0.01, 269/0.34 किता 02 रकबा 0.35 है0 स्थित बैलाराकलॉ तहसील कुम्हेर के प्रार्थीगण/अपीलाण्ट समभाग के खातेदार काश्तकार एवं काबिज हैं। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा इन खसरा नम्बरान को मौके की स्थिति अनुसार प्रार्थीगण/अपीलाण्ट की खातेदारी के गत खसरा नम्बर 158 मिन रकवा 02 बीघा 10 विस्वा से निर्मित किया है। इसके अतिरिक्त हाल खसरा नम्बर 268, 269 को गत खसरा नम्बर 155 मिन से बनना अंकित किया है, और कोई रकवा दर्ज नहीं किया है, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि गत खसरा नम्बर 155 का कोई रकबा इन नये नम्बरान में सम्मिलित नहीं है। गत खसरा नम्बर 158/2.10 तत्कालीन सह कृषकों के बीच हुए विभाजन के पश्चात पृथक से प्रार्थीगण/अपीलाण्ट के हिस्से में आया है। इस खसरा नम्बर से दक्षिणी दिशा में लगा हुआ प्रार्थीगण/अपीलाण्ट की खातेदारी का गत खसरा नम्बर 223/7.10 रहा है। जिससे हाल नम्बरान 270, 271 बनाये गये हैं। इस खसरा नम्बर का रकवा 07 बीघा 10 विस्वा के स्थान पर 05 बीघा 01 विस्वा गलत अंकित हो रहा है। इन दोनों का कुल रकबा 10 बीघा रहा है, जो आज भी मौके पर स्थित है। वर्तमान अभिलेख में मौके की स्थिति के विपरीत खातेदारी के इन्द्राज अप्रार्थीगण/रैस्पो0 के नाम राजस्व कर्मचारियों की गलती से किये गये हैं। अप्रार्थीगण/रैस्पो0 उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर प्रार्थीगण/अपीलाण्ट की खातेदारी मानने से इन्कार कर रहे हैं एवं विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करने की धमकी देते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण/रैस्पो0 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। विवादित आराजी अपीलाण्ट की समभाग की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर इन्द्राज खातेदारी वर्तमान में रैस्पो0 के नाम गलत हो रहे हैं, जो भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नाजायज रूप से किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0 के गलत इन्द्राज खातेदारी पर भरोसा कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी त्रुटि की है। वर्तमान खसरा नम्बरान 268/0.1, 269/0.34 अपीलाण्ट की खातेदारी व कब्जे काश्त के खसरा नम्बरान 158 मिन रकवा 02 बीघा 10 से मौके की स्थिति के अनुरूप निर्मित किये गये हैं। इन खसरा नम्बरान से रैस्पो0 की कथित गत खातेदारी के खसरा नम्बर 155 मिन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का कोई रकवा उक्त नये खसरा नम्बरान में सम्मिलित नहीं किया गया है इसलिए मिलान क्षेत्रफल में इन खसरा नम्बरान के सामने गत 155 का कोई क्षेत्रफल भू भाग जाना अंकित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दू पर ध्यान नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गत स्थिति के विपरीत इन्द्राज किये हैं जबकि भू प्रबन्ध विभाग को किसी की खातेदारी को बदलने या समाप्त करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। विवादित आराजी पर भौतिक कब्जा काश्त अपीलाण्ट का ही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का प्रार्थना पत्र तय करने के लिए कब्जा सर्वोपरि होता है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2018 पेज 1030, डीएनजे 2014 पेज 136 का हवाला देते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर रैस्पो0 को ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने लिखित बहस पेश करते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट द्वारा मुख्य रूप से हाल खसरा नम्बर 268, 269 को अपनी खातेदारी के गत खसरा नम्बर 58 रकवा 02 बीघा 10 विस्वा से बना हुआ बताते हुये यह अपील पेश की है रिकार्ड में मिलान क्षेत्रफल को देखने से पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि हाल खसरा नम्बर 268, 269 गत खसरा नम्बर 155 से बने हैं मिलान क्षेत्रफल में गत खसरा नम्बर 155 का रकवा नहीं दे रखा है तो इसके लिये रैस्पो0 द्वारा गत जमाबन्दी संवत 2029 पेश की है जिसमें खसरा नम्बर 155 का रकवा 03 बीघा 08 विस्वा दर्शाया गया है जो कि रैस्पो0 के पूर्वज सीयाराम के नाम दर्ज है तथा अपीलाण्ट के गत खसरा नम्बर 158 रकवा 02 बीघा 10 विस्वा की बाबत प्रश्न है तो इस विषय में निवेदन है कि गत खसरा नम्बर 158 से हाल खसरा नम्बर 270/0.50 बना हुआ मिलान क्षेत्रफल में दर्शाया गया है। जिसका रकवा गत रकवे के मुकाबले 10 एयर अधिक है जो कि अपीलाण्टान के ही नाम दर्ज है जहॉ तक दूसरे खसरा नम्बर 223 को भी अपीलाण्टान ने अंकित करते हुये उसका रकवा 07 बीघा 10 विस्वा अंकित किया है जबकि गत खसरा नम्बर 223 का रकवा 05 बीघा 01 विस्वा ही है जो कि जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल दोनों में दर्शित किया गया है इस नम्बर से हाल खसरा नम्बर 271 बनाया है वह भी अपीलाण्टान के ही नाम दर्ज है इस प्रकार स्वयं अपीलाण्ट का रकबा उनके नाम गत रकवे से अधिक है तथा रैस्पो0 का रकवा गत रकवा के अनुसार ही है तो अपीलाण्ट किसी भी प्रकार से रैस्पो0 को पाबन्द कराने का कोई भी अधिकार नहीं रखते हैं। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2015(1) पेज 633, 2013(1) पेज 123 का हवाला देते हुये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पक्षकारो के बीच अधिकारो का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य विवेचना के आधार पर दावे में होगा। फिलहाल प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तय करते समय हम केवल प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिंदुओं की ओर ही गौर करना है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2069–72 में विवादित भूमि पर रैस्पो0 अभिलिखित खातेदार दर्ज है। इस प्रकार से प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपरमित क्षति के बिन्दु रैस्पो0 के पक्ष में रहते हैं। वैसे भी अभिलिखित खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 के प्रावधानों के तीनो बिन्दुओं की पृथक–पृथक रूप में विस्तार से विवेचना की जाकर, अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, कुम्हेर के निर्णय दिनांक 17.07.2017 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 30.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official